तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की ता में जारी हुए
15-1-19	पत्रावली पेश हुई। वादीगण का दावा डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	

कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
48/2017	2.8.2017	15.11.2019

1.रामप्रसाद पुत्र सरवण, गुर्जर निवासी बूचोलाई तह0 गंगापुर सिटी
2. रमेशचंद पुत्र सरवण, गुर्जर निवासी बूचोलाई तह0 गंगापुर सिटी

——वादीगण

बनाम

1. देवीप्रसाद पुत्र सरवण, गुर्जर निवासी बूचोलाई तह0 गंगापुर सिटी
2. जगदीश पुत्र रामभरोसी, गुर्जर निवासी बूचोलाई तह0 गंगापुर सिटी
3. दिलीप पुत्र रामभरोसी, गुर्जर निवासी बूचोलाई तह0 गंगापुर सिटी
4. काडू पुत्र रामभरोसी, गुर्जर निवासी बूचोलाई तह0 गंगापुर सिटी
5. सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा गंगापुर सिटी
6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री गजेन्द्र सैनी , एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री विकास कुलश्रेष्ठ,एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1 से 4 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि वादगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के बाबा श्री सरवण लाल ने अपने जीवनकाल मे दिनांक 29.7.1970 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि साबिक ख0न0 158 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा घूडया पुत्र हुक्मा गुर्जर से संयुक्त परिवार की आय से प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 के पिता स्व0 रामभरोसी के नाम खरीदी थी। हॉल भू प्रबन्ध मे इसके नये नम्बर 488 रकबा 4.48 हैक्टर बने है। भूमि खरीद के समय वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 देवी प्रसाद नाबालिग थे। केवल स्व. रामभरोसी ही बालिग थे। ये स्व. सरवण लाल के बड़े पुत्र थे एवं बडे पुत्र होने के नाते देवीप्रसाद जरिए सरंक्षक एवं स्व0 रामभरोसी के नाम से संयुक्त परिवार की आय से वादग्रस्त आराजी क्रय की थी तथा संयुक्त रूप से ही कब्जा प्राप्त किया था। तभी से इस भूमि पर वादीगण, प्रतिवादी न0 1 एवं प्रतिवादी न0 2 ता 4 के पिता का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उनकी मृत्यु के बाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण का भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण 1/4, 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी न0 1 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी न0 2 ता 4 1/4 हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहा है। दिनांक

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

18.7.2017 को वादीगण अपने 1/4, 1/4 हिस्से की काश्त की निराई गुडाई कर रहे थे तभी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 मौके पर आ गये और वादग्रस्त भूमि की निराई गुडाई करने से वादीगण को रोका एवं कहा कि यह भूमि हमारी व प्रतिवादी संख्या 1 की सहखातेदारी मे अंकित है। इस पर वादीगण ने कहा कि हम तो इसपर शुरू से ही काश्त करते चले आ रहे है। इस वाक्ये के बाद पटवारी हल्का से जानकारी की तो मालूम हुआ कि उपरोक्त भूमि मे 1/2 हिस्सा रामभरोसी पुत्र सरवण का व 1/2 हिस्सा देवीप्रसाद पुत्र सरवण का दर्ज है। वादीगण ने दिनांक 20.7.17 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 से वादग्रस्त भूमि को समान रूप से 1/4 – 1/4 हिस्से की खातेदारी करवाने के लिए कहा लेकिन उन्होने मना कर दिया। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण का दावा डिक्री किया जाकर ग्राम बूचोलाई के ख0न0 488 रकबा 4.48 है0 का वादीगण को 1/4 , 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज किये जावे तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के मध्य भूमि का सरस नरस से विभाजन किया जाकर अलग अलग खातेदारी दर्ज ही जावे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण के 1/4, 1/4 हिस्से के उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न न करे और ना ही किसी और से करावे। वादीगण को भूमि को बेदखल नही करे एवं विरासत का नामान्तकरण नही खुलवायें तथा भूमि को किसी भी तरह दीगर व्यक्तियो को रहन वय व हस्तानान्तरण नही करे व मौका तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने हाजिर अदालत होकर राजीनामा प्रस्तुत किया।

प्रकरण मे बहस विद्धान वकील उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्ष के अभिभाषकगण ने राजीनामे अनुसार दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2073–76 के अनुसार भूमि ख0न0 488 रकबा 4.49 है0 ग्राम बूचोलाई रामभरोसीलाल पुत्र सरवण हिस्सा 1/2 व देवीप्रसाद पुत्र सरवण हिस्सा 1/2 की खातेदारी मे दर्ज है। नकल फोटोकॉपी विक्रय पत्र दिनांक 29.7.1970 के अनुसार भूमि साबिक ख0न0 158 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा रामभरोसीलाल व देवीप्रसाद के नाम घूडया पुत्र हुक्मा गुर्जर से खरीदी गई है। जिसका नकल मिलान क्षेत्रफल अनुसार ख0न0 488 रकबा

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

4.49 है0 बना है। राजीनामे के अनुसार वादग्रस्त भूमि मे वादी रामप्रसाद को 1/4 हिस्से का, वादी रमेशचंद को 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी देवीप्रसाद को 1/4 हिस्से को एवं प्रतिवादी 2 लगायत 4 को 1/4 हिस्से का खातेदार रखने का निवेदन किया गया है तथा राजीनामे के साथ संलग्न नक्शे अनुसार भूमि का पक्षकारो के मध्य विभाजन करने का निवेदन किया गया है। चूकि भूमि राजीनामे के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने वादीगण को देने का निवेदन किया है एवं यह भूमि वयनामा दिनांक 29.7.1970 के अनुसार रामभरोसी उम्र 19 साल व देवीप्रसाद उम्र 13 वर्ष के नाम खरीदी गई है एवं इस उम्र मे इनके द्वारा स्वयं की अर्जित आय से भूमि खरीद किया जाना संभव नही है अर्थात यह भूमि संयुक्त परिवार की आय से ही तत्समय खरीदी गई है। ऐसी स्थिति मे वादग्रस्त भूमि मे राजीनामे के अनुसार वादीगण को 1/4, 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद वरूए राजीनामा डिक्री किया जाकर भूमि ख0न0 488 रकबा 4.49 है0 ग्राम बूचोलाई मे वादी संख्या 1 को 1/4 हिस्से का, वादी संख्या 2 को 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे इनके नाम खातेदारी मे दर्ज की जावे एवं भूमि के वर्तमान इन्द्राज निरस्त किये जावे। भूमि नियमानुसार बैंक के रहन दर्ज रहेगी। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Judi/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1.रामप्रसाद पुत्र सरवण, गुर्जर निवासी बूचोलाई तह0 गंगापुर सिटी
2.रमेशचंद पुत्र सरवण, गुर्जर निवासी बूचोलाई तह0 गंगापुर सिटी ——वादीगण

बनाम

1. देवीप्रसाद पुत्र सरवण, गुर्जर निवासी बूचोलाई तह0 गंगापुर सिटी
2. जगदीश पुत्र रामभरोसी, गुर्जर निवासी बूचोलाई तह0 गंगापुर सिटी
3. दिलीप पुत्र रामभरोसी, गुर्जर निवासी बूचोलाई तह0 गंगापुर सिटी
4. कालू पुत्र रामभरोसी, गुर्जर निवासी बूचोलाई तह0 गंगापुर सिटी
5. सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा गंगापुर सिटी
6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 48/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री राजेन्द्र कुमार सैनी, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री विकास कुलश्रेष्ठ, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व वादीगण का वाद वरूए राजीनामा डिक्री किया जाकर भूमि ख0न0 488 रकबा 4.49 है0 ग्राम बूचोलाई मे वादी संख्या 1 को 1/4 हिस्से का, वादी संख्या 2 को 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे इनके नाम खातेदारी मे दर्ज की जावे एवं भूमि के वर्तमान इन्द्राज निरस्त किये जावे। भूमि नियमानुसार बैंक के रहन दर्ज रहेगी।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.11.2019 को जारी किया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प पर्ची महनतानावकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2019.12.02 11:01:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: